REGD. NO. D. L.-33004/99



EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 798]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2015/चैत्र 27, 1937
No. 798]	NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2015/CHAITRA 27, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2015

का.आ. 1031(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण राष्टीय नई क्र.सं. राजमार्ग संख्या (2) (1)(3)320 पंजाब राज्य में अमृतसर में रारा-3 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मेहता, श्री 503ए हरगोबिंदनगर, टांडा, होशियारपुर को जोड़ने वाला और हिमाचल प्रदेश में ऊना के निकट रारा-503 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । <u>3</u>44बी पंजाब राज्य में फगवाड़ा में रारा-44 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और 321 होशियारपुर में रारा-3 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । पंजाब राज्य में मुदकी में रारा-54 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बाघापुराना, 322 254 सलाबतपुरा, रामपुरा, मौर, तख्त श्री दमदमा साहिब को जोड़ने वाला और हरियाणा राज्य में डबबाल के निकट रारा-54 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

1735 GI/2015

323	205ए	पंजाब राज्य में खरड़ में रारा-5 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बनूर को जोड़ने
		वाला और टेपला में रारा-44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/2/2015-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पणी: - राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 548 (अ) तारीख 17 फरवरी, 2015 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2015

S.O. 1031(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
320	503A	The highway starting from its junction with NH-3 at Amritsar connecting Mehta, Sri Hargobindpur, Tanda, Hoshiarpur in the State of Punjab, Una and terminating at its junction with NH-503 near Una in the State of Himachal Pradesh.
321	344B	The highway starting from its junction with NH-44 at Phagwara and terminating at its junction with NH-3 at Hoshiarpur in the State of Punjab.
322	254	The highway starting from its junction with NH-54 at Mudki connecting Baghapurana, Salabatpura, Rampura, Maur, Takth Sri Damdama Sahib in the State of Punjab and terminating at its junction with NH-54 near Dabwali in the State of Haryana.
323	205A	The highway starting from its junction with NH-5 at Kharar connecting Banur and terminating at its junction with NH-44 at Tepla in the State of Punjab.

TABLE

[F. No. NH-14012/2/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote:-The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 548(E), dated 17th February, 2015.